न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 12/23 दायरा दिनांक 06.07.2023

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. अशोक पुत्र रामजीलाल उम्र 25 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
2. मन्जू पुत्री रामजीलाल पत्नि ख्याली उम्र 32 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सहरोल तलेटी हाल केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
3. सरोज पुत्री रामजीलाल पत्नि रिंकू उम्र 30 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सहरोल तलेटी हाल केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान
4. कैलाशी पत्नि रामजीलाल उम्र 52 वर्ष जाति कुम्हार निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बांरा राजस्थान

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक – 04.04.2024

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 773/3 रकबा 3.00 बीघा ग्राम सहरोल तलेटी पटवार क्षेत्र शाहावाद तहसील शाहाबाद में स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी आवंटन परामर्शदाता समिती मुकाम शाहावाद द्वारा दिनांक 24.05.2006 को प्रार्थी कम 1 लगायत 3 के पिता व प्रार्थी कम 4 के नाम संयुक्त रूप से विधिवत् आवंटन की गई है। उक्त आवंटन दिनांक 24.05.2006 का अमल गैर खातेदारी नामान्तरण नम्बर 1084 ग्राम सहरोलतलेटी दिनांक 15.07.2006 में करते वक्त आवंटी/प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर किराड लिपीकिय त्रुटिवश गलत दर्ज कर दी गई है। जबकि आवंटन रिकार्ड में कुम्हार दर्ज है। मूल आवंटी रामजीलाल पुत्र घासीलाल कुम्हार की मृत्यु हो चुकी है, जिनके प्रार्थीगण वैध वारिस होकर नामान्तरकरण नंबर 1988 से वहैसियत खातेदार दर्ज हैं। खाते में गलत जाति दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को मुआवजा राशि, कृषि ऋण आदि लेने में भारी परेशानी एवं दिक्कतों का सामना करना पड रहा है और असुविधा हो रही है। प्रार्थिया ने जाति दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी को निवेदन किया तो उन्होने प्रार्थिया को श्रीमान न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश लाने को कहा। [illegible] प्रार्थिया विवादित आराजी खाते में दर्ज गलत जाति किराड को दु[illegible] कर कुम्हार दर्ज कराने की अधिकारी है।

04.04.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:43 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 773/3 रकबा 3.00 बीघा ग्राम सहरोल तलेटी प्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त भूमि दिनांक 24.05.06 को रामजीलाल पुत्र घासीलाल कुम्हार तथा कैलाशी के नाम आवंटन होना स्वीकार है। गैर खातेदारी का नामान्तरण संख्या 1084 में आवंटी की जाति कुम्हार के स्थान पर किराड गलत दर्ज हो गई है, जिसे दुरूस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम सहरोलतलेटी में आराजी खसरा नंबर 773/3 की 3.00 बीघा भूमि दिनांक 24.05.2006 को प्रार्थी कम 1 ता 3 के पिता व प्रार्थी कम 4 के नाम संयुक्त रूप से आवंटन की गई है। आवंटी रामजीलाल की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी हैं, जिनके प्रार्थीगण वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं, जो फौती नामानतरण के जरिये विवादित आराजी खाते में बतौर खातेदार दर्ज हैं। उक्त आवंटन दिनांक 24.05.2006 का अमल गैर खातेदारी नामान्तरण नम्बर 1084 ग्राम सहरोल तलेटी दिनांक 15.07.2006 में करते वक्त आवंटी/प्रार्थीगण की जाति लिपीकिय त्रुटिवश किराड गलत दर्ज कर दी गई है। जबकि आवंटन रिकार्ड में कुम्हार दर्ज है। आवंटन रिकार्ड में आवंटी की जाति कुम्हार दर्ज है, आवंटन का अमल रिकार्ड में करते समय नामान्तरण नम्बर 1084 में कुम्हार के स्थान पर किराड दर्ज की गई है, स्वयं अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति है कि उक्त जाति नामान्तरण नम्बर 1084 में गलत दर्ज हो गई है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजसथान भू–राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 773/3 रकबा 3.00 बीघा ग्राम सहरोलतलेटी तहसील शाहाबाद खाते में प्रार्थीगण की जाति किराड के स्थान पर कुम्हार दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04.04.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.05.28 13:03:43 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner